

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौम
जुगराज सिंह वर्मा बनाम स्त्रीवर वर्मा
 मुकदमा संख्या / वर्ष 913 : 33 / 2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अन्तर्गत धारा 183, 188 RT. Act, N.S. सिखावत वकील ने आज्ञा पेश किया। रिपोर्ट के चुकी है। धारा 80(2) CPC का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। आज्ञा दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवादीजण के तसवी की जाकर पत्रावली दिनांक 08/7/22 को पेश की है।	
	08/7/22	वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य रिथागित रखे जाने से पुत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 02/8/22 को पेश हो।	
	03/8/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/9/22 को पेश हो।	
	14/9/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/11/22 को पेश हो।	
	3/11/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/11/22 को पेश हो।	
	4/11/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 3/2/23 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर
चौम (जयपुर)

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	3/2/23	<p>पतापली पेब्रा हर्ड। सायं 5:00 बजे तक धार-धार आवाज दिलावाई गई। कादी अस्सालतन व वकालतन अडुपस्थित है। अतः कादीगणका वाद अफम हाजरी अफम पैरवी में खारिज किया जाता है। पतापली जेसल सुमार हाकर दर्ज नम्बर से कम हो तला दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>विशेष</p> <p>यालय</p> <p>रक्ष का</p>